राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान सहकारी अधिनियम १९६५ की धारा ६(i) के अन्तर्गत सर्वश्री अर्जुनराम, प्रहलादराम, जगमालराम, बीरदाराम, हरीकिशन, बीरदाराम S/o मुकनाराम तथा अन्य के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र का रजिस्ट्रेशन खेतोलाई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि० पंचायत समिति सांकड़ा पोस्ट ग्राम खेतोलाई जिला जैसलमेर के नाम से स्वीकृत किया गया तथा उपरोक्त सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन आज दिनांक 23.12.74 को क्रमांक 2480/M पर उपरोक्त अधिनियम की धारा ८ के अन्तर्गत ऐसी शर्तों के साथ जिनका वर्णन आवेदन-पत्र में है और उक्त अधिनियम उसके अन्तर्गत जारी किये गये आदेश और समिति के उप-नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया गया।

यह रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित आज दिनांक 23.12.74 को जारी किया गया।

सहायक रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां, जैसलमेर

NOTARY POKARAN